राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)

क्रमांक एफ 1(02)ग्रावि/नरेगा/माद/भा.स./61495/2014 जयपुर, दिनांक : 19 APR 2017

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी नरेगा
समस्त राजस्थान।

विषयः- **गांवों में राजकीय विद्यालयों में चारदीवारी का निर्माण कार्य सम्मिलित किये जाने बाबत।**

संदर्भः- **ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी मास्टर सर्कुलर 2017-18**

महोदय,

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजना के क्रियान्वयन हेतु मास्टर सर्कुलर 2017-18 जारी किया गया है। जारी मास्टर सर्कुलर के बिन्दु संख्या 7.2.3.7 (ई) में नया कार्य "गांवों में राजकीय विद्यालयों में चारदीवारी का निर्माण कार्य" सम्मिलित किया गया है।

वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2017-18 के निर्माण के समय यह कार्य अनुमत कार्यो में सम्मिलित नही होने के कारण वार्षिक कार्य योजना 2017-18 में सम्मिलित नही है। कार्य कराए जाने हेतु कार्य का वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित होना अनिवार्य है। चारदीवारी का निर्माण कार्य सामग्री प्रदान कार्य है। अतः इस प्रकार के कार्य कन्वर्जेन्स के माध्यम से कराया जाना अधिक उचित होगा।

अतः इस संबन्ध में यह निर्देशित किया जाता है कि जिन राजकीय विद्यालयों में चारदीवारी का निर्माण कार्य कराया जाना है, ऐसे कार्य पूरक वार्षिक कार्य योजना 2017-18 में जोडे जावे एवं पूरक वार्षिक कार्य योजना नियमानुसार सभी स्तरों पर अनुमोदित करायी जावे। चारदीवारी निर्माण के लिए प्राथमिकता का क्रम आदर्श विद्यालय, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं प्राथमिक विद्यालय के अनुरूप रखा जावे। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि वित्तीय वर्ष के दौरान सामग्री मद, जिसमें कुशल/अर्द्धकुशल मजदूरी सम्मिलित है, में व्यय जिला स्तर पर 40 प्रतिशत से अधिक नही हो। निर्माण के संबन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश पृथक से जारी किये जायेगें।

भवदीय,

(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव, ग्रामीण विकास

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्यमंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
4. शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
5. आयुक्त, ईजीएस।
6. संभागीय आयुक्त, समस्त।
7. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समस्त जिला परिषद राजस्थान।
8. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, बाड़मेर।
9. कार्यक्रम अधिकारी सह विकास अधिकारी पंचायत समिति समस्त, राजस्थान।
10. रक्षित पत्रावली।

परि.निदे. एवं संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस